न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 16/2020

1. नागरमल पुत्र हनुमान उम्र व्यस्क जाति माली निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. प्रहलाद पुत्र हनुमान उम्र व्यस्क जाति माली निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3. हीरालाल पुत्र हनुमान उम्र व्यस्क जाति माली निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4. रामसिंह पुत्र हनुमान उम्र व्यस्क जाति माली निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
5. लीलाराम पुत्र नागरमल उम्र व्यस्क जाति माली निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6. ओमप्रकाश पुत्र नागरमल उम्र व्यस्क जाति माली निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम नागरमल वगैरह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 19/2019 निर्णय दिनांक 17.2.2020

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 16.9.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.2.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नागरमल वगैरा मु0नं0 19/2019 अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही गलत रूप से की है। अपीलार्थीगण को सामुहिक रूप से नोटिस दिया गया है। धारा 91 की कार्यवाही में सामुहिक रूप से नोटिस नहीं दिये जा सकते और सामुहिक रूप से निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत के कहने के मुताबिक जितने नाम ग्राम पंचायत ने दिये उसके अनुसार हुबहु कार्यवाही कर दी। ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि की ना तो जांच करवाने का अधिकार है ना ही उसके संबंध में कमेटी गठन करने का अधिकार है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व उसकी अनुशंषा को निर्णय का हिस्सा बना दिया। अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत के कहने के अनुसार अपनी आदेशिकाओं में दर्ज कर रखा है कि अतिक्रमी मय वकील उपस्थित। अदालत मातहत ने अतिक्रमी मान लिया जो कानून की मंशा के विपरित हैं। निर्णय में अतिक्रमीगणों शब्द लिखा है जो गलत है। अदालत मातहत का निर्णय निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। उक्त निर्णय में अंकित नहीं किया गया कि किन किन व्यक्तियों को अतिक्रमी माना गया है व किन किन के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी हीरालाल ने सरपंच के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसलिये जानबूझकर सरपं ने यह समस्त कार्यवाही की है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य आया है कि अपीलार्थीगण जहां आबादा हैं वहां आजादी के पूर्व से उसके पूर्वज आबाद रहे हैं। लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं है। अपीलार्थीगण जहां आबाद है वहां चारों तरफ सघन आबादी बसी हुई है जिसमें सड़क बनी हुई है। समस्त आबादी में विद्युत सम्बन्ध है। सरपंच के कहने से उसे सघन आबादी केबीच में बसे हुये अपीलार्थीगण को दुर्भावनावंश नोटिस दिये गये है। सघन आबादी का नक्शा पेश किया गया है, जो अपील का हिस्सा है। अदालत मातहत के समक्ष ग्राम पंचायत के पट्टे पेश किये जिनमें प्रत्येक पट्टे का शुल्क 800/– रूपये लिया गया है। जहां कोई व्यक्ति शुल्क जमा करवाकर पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है उसको समरी कार्यवाही से बेदखल किया जाना कानून की मंशा के विपरित है। ग्राम पंचायत के दिये गये पट्टे के विरूद्ध ग्राम पंचायत कार्यवाही करने के लिये ना तो शिकायत कर सकती ना ही अनुसंशा कर सकती है। अपीलांटस के पास ग्राम पंचायत द्वारा शुल्क लेकर पट्टे दिये गये हैं । [illegible] को राजहक में लेकर कुर्क नहीं किया जा सकता। बेदखली की कार्यवाही के साथ कुर्की [illegible] कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत का निर्णय कानूनन निर्णय की तारीफ में नहीं आता। समुहिक रूप से निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

पारित नहीं किया जा सकता। किन व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है, उल्लेख नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 17.2.2020 निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को प्रति प्रेषित की जावे कि उक्त पट्टे व संघन आबादी सहित भूमि के संबंध में तथ्यों की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत ने धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही गलत रूप से की है। अपीलार्थीगण को सामुहिक रूप से नोटिस दिया गया है । धारा 91 की कार्यवाही में सामुहिक रूप से नोटिस नहीं दिये जा सकते और सामुहिक रूप से निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत के कहने के मुताबिक जितने नाम ग्राम पंचायत ने दिये उसके अनुसार हुबहु कार्यवाही कर दी। ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि की ना तो जांच करवाने का अधिकार है ना ही उसके संबंध में कमेटी गठन करने का अधिकार है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व उसकी अनुशंषा को निर्णय का हिस्सा बना दिया। अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत के कहने के अनुसार अपनी आदेशिकाओं में दर्ज कर रखा है कि अतिक्रमी मय वकील उपस्थित। अदालत मातहत ने अतिक्रमी मान लिया जो कानून की मंशा के विपरित हैं। निर्णय में अतिक्रमीगणों शब्द लिखा है जो गलत है। अदालत मातहत का निर्णय निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। उक्त निर्णय में अंकित नहीं किया गया कि किन किन व्यक्तियों को अतिक्रमी माना गया है व किन किन के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी हीरालाल ने सरपंच के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसलिये जानबूझकर सरपंच ने यह समस्त कार्यवाही की है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य आया है कि अपीलार्थीगण जहां आबादी हैं वहां आजादी के पूर्व से उसके पूर्वज आबाद रहे हैं। लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं है। अपीलार्थीगण जहां आबाद है वहां चारों तरफ सघन आबादी बसी हुई है जिसमें सड़क बनी हुई है। समस्त आबादी में विद्युत सम्बन्ध है। सरपंच ने से उसे सघन आबादी के बीच में बसे हुये अपीलार्थीगण को दुरभावनावश नोटिस दिये गये। सघन आबादी का नक्शा पेश किया गया है, जो अपील का हिस्सा है। अदालत मातहत के समक्ष ग्राम पंचायत के पट्टे पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

किये जिनमें प्रत्येक पट्टे का शुल्क 800 रूपये लिया गया है। जहां कोई व्यक्ति शुल्क जमा करवाकर पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है उसको समरी कार्यवाही से बेदखल किया जाना कानून की मंशा के विपरित है। ग्राम पंचायत के दिये गये पट्टे के विरूद्ध ग्राम पंचायत कार्यवाही करने के लिये ना तो शिकायत कर सकती ना ही अनुसंशा कर सकती है। अपीलांटस के पास ग्राम पंचायत द्वारा शुल्क लेकर पट्टे दिये गये हैं । ट्यूबवैल को राजहक में लेकर कुर्क नहीं किया जा सकता। बेदखली की कार्यवाही के साथ कुर्की की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत का निर्णय कानूनन निर्णय की तारीफ में नहीं आता। समुहिक रूप से निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। किन व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है, उल्लेख नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 17.2.2020 निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को प्रति प्रेषित की जावे कि उक्त पट्टे व संघन आबादी सहित भूमि के संबंध में तथ्यों की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 17.2.2020 पारित किया गया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि की किस्म गै0 मु0 पहाड़ है। अपीलांट्स का कथन है कि विवादित भूमि पर सघन आबादी बसी हुई है और आजादी से पूर्व से ही उनके पूर्वजों के समय से विवादित भूमि पर पुख्ता मकानात बने हुये हैं, बिजली पानी के कनेक्शन है और अपीलांटस के अलावा भी काफी आबादी बसी हुई है। अपीलांट्स के पास ग्राम पंचायत पंचलंगी द्वारा मौके पर सघन आबादी होने एवं अपीलांट्स का पुराना कब्जा होने के कारण 800/– शुल्क लिया जाकर जारी किया गया पट्टा हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत पंचलंगी के अनुसार की हैं। अधीनस्थ [illegible] तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने निर्णय में ग्राम पंचायत पचलंगी द्वारा अपीलांटस को जारी पट्टा एवं पुराने कब्जे के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत पचलंगी के प्रस्ताव एवं शिकायत के आधार पर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित भूमि का मौका नहीं देखा गया है। ग्राम पंचायत पंचलंगी को राजकीय भूमि के संबंध में कमेटी द्वारा जांच कराने एवं ग्राम पंचायत बैठको में किसी भी प्रकार की कार्यवाही/प्रस्ताव पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। हस्तगत प्रकरण में एक तरफ ग्राम पंचायत पचलंगी द्वारा वर्ष 1999 में अपीलांट्स को प्रत्येक से 800/–रूपये शुल्क लिया जाकर पट्टे जारी किये गये हैं दूसरी ओर ग्राम पंचायत उसी भूमि के संबंध में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करवा रही है जो कतई विधिक प्रतीत नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने नोटिस जारी कर अपीलांटस के विरूद्ध सामुहिक निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधाना के अनुसार कतई न्यायोचित प्रतींत नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय में किस अपीलांट/अतिकमी द्वारा कितनी भूमि पर किस प्रकार का अतिक्रमण किया गया हैं अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने निर्णय में अपीलांटस का कितना पुराना कब्जा/अतिक्रमण है और राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर गैर मु0 पहाड़ की भूमि के नियमन नहीं होने के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी। विवादित भूमि की किस्म गै0 मु0 पहाड़ है। अपीलांट्स का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 597 रकबा 13.28 हैक्टर पर सम्पूर्ण पर सघन आबादी बसी हुई है और आजादी से पूर्व से ही उनके पूर्वजों के समय से विवादित भूमि पर पुख्ता मकानात बने हुये हैं, बिजली पानी के कनेक्शन आदि हैं और राजनैतिक कारणों से ग्राम पंचायत पचलंगी के कारण केवल अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है अन्य लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 04.9.2020 की फर्द मौका रिपोर्ट जो हल्का पटवारी पचलंगी एवं भू0 अ0 निरीक्षक पापड़ा द्वारा तैयार की गई है उसमें भी अपीलांट्स के मकानात विद्युत कनेक्शन, नलकूप आदि करीब 25–30 वर्ष पूर्व के होना बताया गया है। ग्राम पंचायत पचलंगी द्वारा वर्ष 1999 में मौके पर आबादी मानकर अपीलांट्स को तथाकथित पट्टे जारी किये गये है, इन सब तथ्यों से मौके पर अपीलांट्स का पुराना कब्जा होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला ...
झुन्झुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.2.2020 उनवानी सरकार बनाम नागरमल वगैरह मु0नं0 19/2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट्स द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज का विधिक रूप से परीक्षण कर राज्य सरकार के परिपत्रों के मध्यनजर गैर मु0 पहाड़ की भूमि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य है अथवा नहीं बाद परीक्षण पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। प्रकरण नियमन योग्य होने पर नियमन की कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

16.9.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested